


उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(जिला पंचायत राज शाखा)

-:: आम सूचना ::-

उपायुक्त का कार्यालय, जिला पंचायत राज शाखा, जामताड़ा के ज्ञापांक-287 दिनांक-01.07.2019 के द्वारा चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में द्वारा 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता, अनुभव एवं स्थानीयता की जाँच कर अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची एवं अस्वीकृत सूची तैयार की गई है, जिसे जामताड़ा जिला के वेबसाईट www.jamtara.nic.in पर ऑपलोड किया गया है।

सभी संबंधित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं स्थानीयता इत्यादि में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अन्य आपत्ति हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक-20.11.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय, जामताड़ा में लिखित आपत्ति दिया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति/स्वीकार नहीं किया जायेगा।




उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक...626...../जि0पं0 दिनांक...31.10.2019

प्रतिलिपि:- जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों के एक दिवसीय अंक में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर ऑपलोड करने हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
जामताड़ा।